



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 459/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8

दिनांक: 28.03.2025

विषय:- सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 18.03.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।

कृपया दिनांक 18.03.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्र०)

पत्रांक /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8 तददिनांक : -

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी-सचिव-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू०एवंप्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्र०)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 18.03.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

बैठक में विभिन्न इकाईयों के आनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से उपस्थित कार्यालय अधीक्षकों/कार्यालय सहायकों के अतिरिक्त मानव संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए:-

1. श्री विवेकानन्द, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
2. श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. श्री राजेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी
4. श्री विकास कुमार, सहायक लेखाधिकारी
5. श्री शिवराज पुण्डीर, लेखाकार
6. श्रीमती दीपा रानी रावत राणा, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम
7. श्रीमती ममता, कार्यालय सहायक-प्रथम

**विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेन्शन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:-
वित्त विभाग द्वारा निस्तारित/कोषाधिकारी को प्रेषित प्रकरण:-**

क्र० सं०	सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा०सं०अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा-निर्देश
1	2	3	4	5	6
1	श्री योगेश कुमार अवर अभियन्ता	30.04.2024	220 के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिरानकलियर	पेंशन प्रकरण दिनांक 10.01.2025 को वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश हेतु मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2.	श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता	31.10.2024	220 के०वी० उपकेन्द्र, पिरान कलियर	पेंशन प्रकरण दिनांक 17.03.2025 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
3.	श्री अनिल कुमार मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	31.10.2024	क्रय एवं अनु० पिटकुल, देहरादून	पेंशन प्रकरण दिनांक 17.02.2025 को आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्यालय भुगतान इकाई को प्रेषित किया गया है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-


1. बैठक में समस्त कार्मिकों को ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन ससयम उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
2. श्री विकास कुमार, सहायक लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जगदीश सिंह रौतेला, अवर अभियन्ता (सेवानिवृत्त) एवं स्व० श्री विरेश कालरा, सहायक अभियन्ता के ग्रेच्युटी का प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है।
3. विभिन्न कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों द्वारा पूर्व में ई-ऑफिस के संचालन हेतु प्रशिक्षण करवाये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्हें अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बन्ध में आई०टी०डी०ए० से प्रशिक्षण प्रदान करवाने हेतु अनुरोध किया गया है, उनसे तिथि प्राप्त होने के उपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

4. वर्तमान तक भी खण्ड स्तर में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित डेटा पी0आई0एस0 में अंकित नहीं किया जा रहा है। उक्त के क्रम में विगत 3 माह का प्रशिक्षण का विवरण बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षण का विवरण पी0आई0एस0 में नहीं भरा जा रहा है, जिस हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को भविष्य में डेटा पी0आई0एस0 में भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. पूर्व में खण्ड कार्यालयों से विभागीय अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों (यथा- अवकाश, उच्च शिक्षा, वाह्य विभागों में आवेदन, पारपत्र बनवाने इत्यादि) को मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में ससमय प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (मा0सं0) पिटकुल, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को प्रकरण ससमय मा0सं0एवंप्र0विभाग में भेजने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी कई प्रकरण मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में विलम्ब से प्राप्त हो रहे, जिनके निस्तारण हेतु बैठक में निर्देशित किया गया कि यदि कोई कार्मिक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण निर्धारित तिथि के उपरान्त अथवा तिथि व्यतीत होने के कुछ ही दिन पूर्व में प्रेषित करता है तो खण्ड स्तर से भी प्रकरण को देरी से प्रेषित करने के सम्बन्ध में उनको पत्र प्रेषित किये जाय।
6. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों से उनके कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की वर्ष 2024-25 की के0पी0आई0 ऑनलाइन/ऑफलाइन ससमय भरने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
7. पूर्व माह में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहे निम्नलिखित कार्यक्रम बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें:-
 - क. श्री विपिन कुमार शर्मा, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 खण्ड, चम्बा।
 - ख. श्री राम सिंह अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय, 220 के0वी0 परि0एवंअनु0 खण्ड, पन्तनगर।



(अजय कुमार शर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी



(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी